# राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :- कमरा नं. 5012, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

आशा शर्मा
अध्यक्ष
9413904807,9664281075


क्रमांक : राज.वि.से.प./07/2025 दिनांक : 15.04.2025

श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर।

**विषयः- विधि विभाग की डीपीसी वर्ष 2025–26 में आहूत होने वाले विधि सेवा पदों पर पदोन्नतियों में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 22.09.2021 की अनुपालना सुनिश्चित कराये जाने बाबत।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि निकट भविष्य में विधि सेवा संवर्ग के विभिन्न रिक्त पदो पर विभागीय पदोन्नतियां वर्ष 2025–26 के लिए आयोजित की जानी संभावित है। किसी भी विभाग में विभागीय पदोन्नतियों के नीति विषयक सिद्वान्त निर्धारित करने का क्षेत्राधिकारी पूर्णतः कार्मिक विभाग में न्यस्त है, जिनके द्वारा जारी किये गये आदेश/परिपत्र/आज्ञा सभी राजकीय विभागों पर समान रूप से प्रयोज्य (Applicable) होते है, ताकि सभी विभागों में पदोन्नतियों में एकरूपता बनी रहें। इस उद्वेश्य की पूर्ति हेतु कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नतियों के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शन अपने परिपत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/अ.प./91 जयपुर दिनांक 04.06.2008 द्वारा विहित किये गये है। उक्त परिपत्र के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिनियुक्ति के पदों पर पदोन्नति हेतु मार्गदर्शन अपेक्षित किये जाने पर कार्मिक विभाग ने अपने समसंख्यक पत्रावली के परिपत्र दिनांक 22.09.2021 के द्वारा सभी विभागों को विस्तृत मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7 में रिक्तियों के अवधारण के सिद्वान्त विहित किये गये है, जिसके अनुसार ही किसी वित्तीय वर्ष में पदोन्नतियों के लिये उपलब्ध होने वाले रिक्त पदो की गणना की जाती है। प्रार्थीगण श्रीमान् का ध्यान उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 7.5.7 की ओर आकृष्ट करना चाहेगे, जिसके कारण हस्तगत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आधार बना है, उक्त प्रावधान निम्नांकित प्रकार से हैः-

7.5.7:- ***एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई राजसेवक है तो इस प्रकार की रिक्तियां भी पदोन्नति के लिए गणना योग्य होगी।***

इससे पूर्व बिन्दु संख्या 7.5.2 में पूर्व से ही स्पष्ट किया जा चुका है, डीपीसी की बैठक आयोजित होने से पूर्व जो भी नवीन पद सृजित होते है या बजट में सम्मिलित है या वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, को भी डीपीसी में रिक्त पदों में सम्मिलित करते हुये पदोन्नतियां की जानी है।

ऐसे में, विधि विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में डीपीसी आयोजित किये जाने से पूर्व जो भी पद सृजित हो चुके होगे, उन्हें पदोन्नति हेतु Consideration में लिया जाना अपेक्षित है।

बिन्दु संख्या 7.5.7 के अवलोकन से यह भी सुस्पष्ट है कि उक्त बिन्दु में विहित प्रावधान, दो सुभिन्न परिस्थितियों के लिये पदों को डीपीसी हेतु निर्धारित किये गये रिक्तियों में जोड़ने का निर्देश देता है :–

1. प्रथम, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश से उपलब्ध होने वाले पद, उदाहरणस्वरूप शैक्षणिक अवकाश अथवा चिकित्सा अवकाश अथवा ऐसे ही किसी आधार पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्मिक के अनुपस्थित होने पर उपलब्ध पद एवं

2. किसी राजसेवक के प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण , उत्पन्न रिक्ति का पद, इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अपने मार्गदर्शन दिनांक 22.09.2021 के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि *"ऐसे प्रकरण जिनमें विभाग के किसी अधिकारी को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लगाने हेतु आदेश जारी किया जा चुका हो तथा अधिकारी विभागीय पदोन्नति की तिथि पूर्व कार्यमुक्त हो चुका हो।"*

उक्त प्रावधानों के प्रथमदृष्ट्या अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान 2 भिन्न–भिन्न परिस्थितियो से उत्पन्न रिक्तियों के पदों को डीपीसी में सम्मिलित करने की व्यवस्था करता है। विधि विभाग द्वारा नवसृजित विकास प्राधिकरणों में संयुक्त विधि परामर्शी के नवसृजित रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की स्थिति में, ऐसे पदस्थापन पर प्राप्त होने वाली रिक्तियों पर डीपीसी में पदोन्नति पर विचारण किया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है।

कार्मिक विभाग द्वारा डीपीसी के बारे में जारी गाइडलाइन 2008 का बिन्दु संख्या 7.5.7 ऐसे पूर्व में भरे पद पर लागू होता है जिस पर कार्यरत अधिकारी 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर चला जाता है। वह पद अधिक अवधि के लिए खाली नहीं रहे, इसलिए उक्त प्रावधान उक्त पद को डीपीसी में शामिल करने की व्यवस्था करता है। यह प्रावधान वित्त विभाग की सहमति से सृजित प्रतिनियुक्ति के पद पर लागू नहीं होता है, इसलिए ऐसे प्रतिनियुक्ति के पद वित्त विभाग की सहमति से सृजित होते ही डीपीसी शामिल करने योग्य होते है। इन्हें 1 वर्ष बाद शामिल करने का कोई प्रावधान कार्मिक विभाग द्वारा नहीं बताया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त द्वितीय प्रावधान के पठन मात्र से स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति के पद के लिए यह कही पूर्वगामी शर्त (Condition Precedent) नहीं है कि उक्त प्रतिनियुक्ति के पद को सृजित हुए 1 वर्ष अथवा कोई भी Specific Time पूर्ण हो चुका हो/व्यतीत हो चुका हो।

वर्तमान में 4 नवसृजित पद भरतपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर विकास प्राधिकरण, कोटा विकास प्राधिकरण एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण में 4 संयुक्त विधि परामर्शी के पद और नवसृजित किये जा चुके है, इस प्रकार आगामी डीपीसी में इन 4 संयुक्त विधि परामर्शी के पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 41 पद संयुक्त विधि परामर्शी के लिए उपलब्ध होते है, एवं अन्य पद भी नवसृजित होने अथवा पूर्व से ही उपलब्ध होने पर इन 41 पदों में और जोडे जाने अपेक्षित है। कार्मिक विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन दिनांक 02.04.2025 को प्रदत्त सूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है, जिसमें "जिनमें ऐसे नवसृजित प्रतिनियुक्ति के पद डीपीसी हेतु सम्मलित नहीं किये जाने है, जिन्हें सृजित हुए 1 वर्ष की कम की अवधि ही हुई हो, यदि उपलब्ध हो अथवा अस्तित्व में हो", में प्रदत्त कार्मिक विभाग का मार्गदर्शन यह स्पष्ट करता है कि यह कही आवश्यक नहीं है कि प्रतिनियुक्ति के पद को सृजित हुए 1 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई हो अथवा उक्त पद पर पदस्थापन हुए 1 वर्ष व्यतीत हो चुका हो।

अतः श्रीमान्जी से अनुरोध है कि वर्ष 2025–26 के लिए आहूत होने वाले डीपीसी से पूर्व नवसृजित पदों पर पदस्थापन करते हुए संयुक्त विधि परामर्शी के उपलब्ध पदों को नियमानुसार Consideration में लेते हुए पात्र अभ्यर्थियों को पदोन्नति प्रदान करने हेतु विधि विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करे।

सादर।

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार।**

दिनांक :– 15.04.2025

भवदीय

(आशा शर्मा)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर

# राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक: एफ.1(2)कार्मिक/2/2025/24002 जयपुर, दिनांक:

सेवा में,
श्रीमती सुनीता
पत्नी श्री [illegible]
163 164 गायत्री नगर–बी दुर्गापुरा
जयपुर 302018
मो.न.–09784118858।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2025 अनुसार चाही गई सूचना के संबंध में इस विभाग की टिप्पणी/सूचना निम्नानुसार है –

| क्र. स. | याचित सूचना | विभागीय टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5 में कार्मिक विभाग द्वारा आज दिनांक तक किए गए सभी संशोधनों, विलोपन एवं परिवद्धनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें। | कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5 में प्रतिनियुक्ति से संबंधित पदों के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.09.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। अन्य कोई संशोधन नहीं किया गया है। |
| 2 | कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5.2 में उल्लेखित "नवीन पद" के संबंध में यह कहीं दर्शित नहीं है कि उक्त पद In Cadre पद होने चाहिए अथवा Ex-cadre (प्रतिनियुक्तिया etc.) पद अथवा/दोनों। अतः उक्त नवीन पद किसे माना जाना है, इस संबंध में यदि कार्मिक विभाग द्वारा कोई Clarification/दिशा/परिपत्र अथवा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है तो उक्त की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। | इस संबंध में पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। |
| 3 | कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5.7 में उल्लेखित "प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई राजसेवक है तो इस प्रकार की रिक्तियां भी" के निर्देश दिए गए है। इस निर्देश के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश/आज्ञा, जिसमें यह व्यवस्था प्रदान की गई हो कि "प्रतिनियुक्ति के पद को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा (DPC) हेतु गणना में तभी लिया जा सकेगा जबकि उक्त पद को सृजित हुए एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा उक्त पद पर किसी कार्मिक को पदस्थापित हुये 1 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।" कि प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। | प्रतिनियुक्ति से संबंधित पदों के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.09.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र 2 पृष्ठ का है। जिसकी प्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। |
| 4 | कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5.7 के क्रम में, यदि कार्मिक विभाग द्वारा एस कोई निर्देश जारी किये गये | इस [illegible] नहीं किये गये हैं। |

Signature valid
Digitally signed by Hakim Khan
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2025.04.01 16:13:46 IST
Reason: Approved

Rajkaj Ref No: 1450/4476

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–2) विभाग

क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 जयपुर, दिनांक:04.06.08

# परिपत्र

विषयः– राजकीय सेवा में नियमित पदोन्नति और आवश्यक अस्थाई रूप से पदोन्नति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियमित पदोन्नति, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के पुनर्विलोकन और आवश्यक अस्थाई रूप से पदोन्नति के संदर्भ में परिपत्र, दिशा–निर्देश आदि प्रसारित किये गये हैं जिनमें कुछ पुराने हैं और साथ ही विभिन्न प्राधिकारियों को अप्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में यह उचित समझा गया है कि अब से पूर्व प्रसारित सभी परिपत्र, दिशा–निर्देशों आदि को सम्मिलित करते हुये उनके अधिक्रमण में सभी पूर्व के आदेश, परिपत्र, दिशा–निर्देशों को संकलित करते हुये पुनः प्रसारित किया जाए।

तद्नुसार निम्न प्रकार से दिशा–निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं:–

## भाग–1

## Part-I

## :नियमित पदोन्नति:

1. पदोन्नति

1.1 राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के उपरान्त विभिन्न स्तरों पर आगामी उच्चतर पद/ग्रेड में पदोन्नति के अवसर वर्णित किये गये हैं जो राजसेवक की वरिष्ठता, पात्रता, योग्यता, अनुभव के आधार पर नियमों में विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार दिये जाते हैं।

1.2 इन पदोन्नतियों की मांग राजसेवकों द्वारा अधिकार रूप में नहीं की जा सकती वरन् पदोन्नतियां शासन की आवश्यकताओं की अनुरूप दी जाती हैं।

2. पदोन्नतियों के प्रकार

2.1 वरिष्ठता–सह–योग्यता:– इस प्रकार की पदोन्नतियों का मुख्य आधार वरिष्ठता होती है और इसमें यह अन्तर्निहित शर्त है कि राजसेवक का सेवा अभिलेख गत 7 वर्षों में सन्तोषप्रद हो और उसके सेवा अभिलेख में कोई प्रतिकूलता नहीं हो।

2.2 योग्यता–सह–वरिष्ठता:– इस प्रकार की पदोन्नतियों के सन्दर्भ में राजसेवक का सेवा अभिलेख, जिस वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति

की बैठक आयोजित हो रही है, उस वर्ष से पूर्ववर्ती 7 वर्षो में कम से कम 4 वर्ष में "बहुत अच्छा" अथवा "उत्कृष्ट" श्रेणी का होना चाहिये {दिनांक 23.7.2003 से प्रभावशील}

2.3 योग्यता के कोटे की पदोन्नति दिनांक 30.11.91 से दिनांक 22.7.2003 की अवधि के मध्य प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जिस वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो रही है, उससे पूर्ववर्ती 7 वर्षों में से कम से कम 5 वर्षों का सेवा अभिलेख उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा होना चाहिये।

2.4 योग्यता के कोटे की पदोन्नति दिनांक 11.04.1979 से दिनांक 29.11.1991 की अवधि के मध्य प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जिस वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो रही है, उससे पूर्ववर्ती 7 वर्षों में का सेवा अभिलेख उत्कृष्ट अथवा लगातार बहुत अच्छा (Out Standing or consistently Very Good) होना चाहिये।

3. विभागीय पदोन्नति समिति

3.1 सभी सेवा नियमों में उच्च पद पर पदोन्नति करने के सन्दर्भ में चयन समिति के तौर पर समिति के गठन के प्रावधान वर्णित हैं और इस समिति को विभागीय पदोन्नति समिति के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षिप्त में डी.पी.सी.के तौर पर इंगित किया जाता है।

3.2 जो पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के परिक्षेत्र में आते हैं उन पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा की जाती है और अन्य सदस्य व सदस्य सचिव नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नामांकित होते हैं।

3.3 विभागीय पदोन्नति समिति राजसेवकों को पदोन्नत करने के सम्बन्ध में उनकी सुयोग्यता/पात्रता की जॉच करती है जो नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता–सह–योग्यता/योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर होती है।

3.4 विभागीय पदोन्नति समिति का गठन सम्बन्धित सेवा नियमों में वर्णित है जो सामान्यतः निम्न प्रकार से है:–

क. आयोग की परिधि के पद

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान लोक सेवा आयोग | अध्यक्ष |
| 2 | प्रशासनिक विभाग का शासन सचिव अथवा उनका प्रतिनिधि जो शासन उप सचिव स्तर से कम का न हो। | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | शासन सचिव, कार्मिक विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि जो शासन उप सचिव स्तर से कम का न हो। | सदस्य |
| 4 | सम्बन्धित विभागाध्यक्ष | सदस्य सचिव |

ख. आयोग की परिधि से बाहर के पद

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सम्बन्धित विभागाध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2 | शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग | सदस्य |
| 3 | सम्बन्धित उप विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमत अन्य अधिकारी | सदस्य सचिव |

3.5 किन्हीं सेवा नियमों में समिति का गठन उपरोक्त से भिन्न भी हो सकता है।

4. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की आवृति

4.1 प्रत्येक संवर्ग के पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में सम्पन्न की जाए।

4.2 एक संवर्ग/संवर्ग के पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में केवल एक ही बार सम्पादित की जानी है।

5. विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष

विभागीय पदोन्नति समिति का वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुसार ही होता है अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रेल से आगामी 31 मार्च तक की अवधि विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष होता है।

6. रिक्तियों के अवधारण का समय बिन्दू

6.1 रिक्तियों का अवधारण विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रेल की वास्तविक रिक्तियों को मिलाते हुये किया जाना है जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष की वास्तविक एवं सम्भावित उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित हों।

6.2 रिक्तियों का अवधारण हालांकि एक अप्रेल की स्थिति में करना है किन्तु इसे एक अप्रेल अथवा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में किसी भी समय कर सकते हैं। प्रशासनिक कारणों से इसे आगामी वर्षों के लिये टाला भी जा सकता है।

6.3 पूरे विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की रिक्तियों का अवधारण वर्ष में केवल एक बार ही किया जाए। रिक्तियों में होने वाले ऐसे अन्तर को जो रिक्तियों के अवधारण के पश्चात् एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पूर्व प्राप्त होती है, उसकी गणना विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक के समय की जायेगी (variation to be accounted for at the time of meeting)।

7. रिक्तियों के अवधारण के सिद्धांत

7.1 जिन संवर्गों/पदों पर पदोन्नति केवल एकल प्रणाली से ही होनी है उनके संदर्भ में नियमों में वर्णित पदों के अनुसार रिक्त पदों की गणना अन्तिम रूप से उसी प्रक्रिया के अनुसार की जानी हैं।

7.2 सेवा नियमों में जिन पदों पर 50 प्रतिशत रिक्तियां वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर और 50 प्रतिशत रिक्तियां योग्यता के आधार पर पदोन्नति से भरी जाने के प्रावधान हैं (विशेषकर दिनांक 23.7.2003 से पूर्व इस प्रकार की पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियॉं) उनका अवधारण निम्न क्रमानुसार (cyclic) प्रणाली से किया जाए ताकि योग्यता एवं वरिष्ठता–सह–योग्यता का सही अनुपात पोषणीय (maintain) हो सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह क्रम किसी एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि एक वर्ष से अगले वर्ष लगातार चलता रहेगा ताकि यह अनुपात बना रहे–

- प्रथम रिक्ति– वरिष्ठता–सह–योग्यता
- द्वितीय रिक्ति– योग्यता
- तृतीय रिक्ति– वरिष्ठता–सह–योग्यता
- चतुर्थ रिक्ति– योग्यता
- क्रमशः उक्त क्रमानुसार।

7.3 यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठता–सह–योग्यता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाली रिक्तियों की गणना श्रेणीवार की जाए अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य श्रेणी हेतु अलग–अलग व साइक्लिक क्रम भी अलग–अलग श्रेणीवार एक वर्ष से दूसरे वर्ष लगातार चलेगा। इस प्रक्रिया में रिक्तियों के अंश (fraction) का लाभ वरिष्ठता अभ्यंश को दिया जायेगा। इस प्रकार अवधारण हो जाने पर पहले वरिष्ठता की रिक्तियों पर चयन किया जाए और तत्पश्चात् योग्यता की रिक्तियों पर चयन किया जाए।

7.4 इसी प्रकार अनेक सेवा नियमों में विभिन्न पदों पर कुछ प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और शेष रिक्तियां पदोन्नति से भरी जाती हैं। इस प्रकार की पदोन्नति से भरे जाने वाली रिक्तियों का निर्धारण

कमवार (cyclic) प्रणाली से किया जायेगा ताकि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के अभ्यंश सही अनुपात में पोषणीय (maintain) हो सकें। इस संदर्भ में रोस्टर पंजिकाऐं पृथक–पृथक संधारित करनी है जिसमें सीधी भर्ती व पदोन्नति भर्ती की गणना की जायेगी। उदाहरण के लिये यदि पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाली रिक्तियों का अनुपात 50:50 है, तो निम्न कम से गणना की जानी है:–

- प्रथम रिक्ति– पदोन्नति हेतु
- द्वितीय रिक्ति– सीधी भर्ती हेतु
- तृतीय रिक्ति– पदोन्नति हेतु
- चतुर्थ रिक्ति– सीधी भर्ती हेतु
- कमशः उक्त कमानुसार।

इस प्रकिया में रिक्तियों के अंश (fraction) का लाभ पदोन्नति अभ्यंश को दिया जायेगा।

7.5 पूरे वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध हो रही रिक्तियां गणना योग्य होगी जिनमें निम्न पद भी सम्मिलित होंगे:–

7.5.1 जिन पदों पर अस्थाई/आवश्यक पदोन्नतियां कर दी हों वे पद भी विभागीय पदोन्नति समिति आयोजन हेतु गणना योग्य होंगे।

7.5.2 नवीन पद जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के आयोजन से पूर्व सृजित होते हैं अथवा जो बजट में सम्मिलित किये गये हों या जिनके लिये उस तिथि को जबकि रिक्तियों का अवधारण किया जाए, वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी गई हो।

7.5.3 जो रिक्तियां किसी राजसेवक के:–

1. पदच्युति (Dismissal from service)
2. सेवा से हटाये जाने (Removal from service)
3. अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory retirement)
4. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary retirement)
5. निधन (Death)
6. पदोन्नति स्वीकार नहीं (Forego)

कारण से उपलब्ध होती हैं तो इस प्रकार की रिक्ति चालू विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में गणना योग्य होगी, यदि विभागीय पदोन्नति समिति तत्समय आयोजित नहीं हुई है। यदि उक्त प्रकार से रिक्तियां उपलब्ध होने के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है तो ऐसी रिक्तियां आगामी वर्ष में गणना योग्य होंगी।

7.5.4 विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में सेवा निवृत्ति से रिक्त हो रहे पद,

7.5.5 ऐसी रिक्तियां जो वर्ष के एक अप्रेल को विद्यमान स्पष्ट रिक्तियों के प्रति उच्चतर पदों पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप प्राप्त होंगी।

7.5.6 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो जाने के उपरान्त उपलब्ध हुई रिक्ति आगामी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के लिये ही गणना योग्य होगी लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन होने तक उपलब्ध हुई रिक्ति इसी डी.पी.सी. वर्ष में गणना योग्य हैं।

7.5.7 एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई राजसेवक है तो इस प्रकार की रिक्तियां भी पदोन्नति के लिए गणना योग्य होंगी।

7.5.8 विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण लम्बित होने के कारण उसके चयन की सिफारिशें बन्द लिफाफे में रखी गई थी और अनुशासनिक जांच/फौजदारी प्रकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप राजसेवक को दण्ड/सजा हो जाती है तो जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध बन्द लिफाफा रखा गया था, वह रिक्ति उसी वर्ष में गणना कर पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरी जावेगी।

7.5.9 यदि किसी राजसेवक की पदोन्नति की सिफारिश बन्द लिफाफे में रखी जाती है तो एक पद उच्चतर ग्रेड में रिक्त रखना चाहिये। निम्न ग्रेड (जिससे उच्चतर पद पर पदोन्नति की सिफारिश बन्द लिफाफे में रखी गई है) में इसके विरूद्ध एक रिक्ति की गणना की जा सकेगी किन्तु पदोन्नति आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इस हेतु एक स्पष्ट पद रिक्त हो। बन्द लिफाफे में सम्बन्धित राजसेवक की पदोन्नति नहीं हुई हो तब भी स्पष्ट रिक्ति कई कारणों से उपलब्ध हो सकती है। उदाहरण के लिए उसी ग्रेड में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले कुछ पद रिक्त हो सकते हैं। इन पदों के विपरीत पदोन्नति की जा सकती है। पदोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि यह रिक्ति उपरोक्त पर्याप्त समय के लिए मौजूद रहेगी, ताकि राजसेवक को पदावनत करने की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि उसी वर्ष स्पष्ट रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो बन्द लिफाफे से प्राप्त होने वाली

रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत होने वाले राजसेवक को इस वर्ष पदोन्नत नहीं किया जायेगा, किन्तु इसी वर्ष से पदोन्नति का नोशनल लाभ देते हुए बाद के वर्षों में प्राप्त होने वाली पहली रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत करना चाहिये। ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखा जाए कि अगले वर्ष की जाने वाली पदोन्नतियों हेतु बनाये जाने वाली पात्रता सूची में उसका नाम सम्मिलित नहीं किया जाए, क्योंकि वह पूर्व में ही पदोन्नति हेतु चयनित है। यह प्रकिया अपनाने से बन्द लिफाफा खुलने पर निम्न पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों का पुनर्विलोकन नहीं करना पड़ेगा। यदि बन्द लिफाफे से सम्बन्धित राजसेवक को सजा होती है तब भी निम्न पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के पुनर्विलोकन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उच्चतर पद की उस वर्ष हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों का पुनर्विलोकन कर दण्डित राजसेवक के बजाय अन्य राजसेवक को निम्न पद से उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जायेगा।

7.5.10 विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के दौरान कोई राजसेवक पदोन्नत होकर सेवा निवृत्त होता है तो उसकी सेवा निवृत्ति से उपलब्ध हुई रिक्ति आगामी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के लिये गणना योग्य होगी।

7.5.11 जो रिक्ति विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की 31 मार्च को प्राप्त होती है वह रिक्ति चालू विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में गणना योग्य नहीं होगी वरन् आगामी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के लिये ही विचार योग्य होगी, क्योंकि वस्तुतः सेवानिवृत्ति आगामी माह की प्रथम तिथि के पूर्वान्ह में ही प्रभावी मानी जाती है। यदि माह के अन्तिम दिवस के पूर्वान्ह में पद त्याग दिया जाए तो वह रिक्ति उसी माह की मानी जायेगी।

8. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व की तैयारी/आवश्यक औपचारिकताएं

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के आयोजन से पूर्व निम्न लिखित बिन्दुओं की सूचना/आंकलन/तथ्यों का संकलन इत्यादि करना आवश्यक है ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन सुचारू रूप से यथा समय सम्पूर्णता से सम्पन्न हो सकें:–

8.1 किसी पद विशेष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जानी है, का यदि सम्बन्धित सेवा नियमों में समावेश नहीं हुआ है अथवा

नियमों के विद्यमान प्रावधान में किसी प्रकार का संशोधन प्रक्रियाधीन है तो सर्वप्रथम इस प्रकार के संशोधन अथवा नियमों में पद के समावेश की प्रकिया को पूरा किया जाए तथा नियमों में संशोधन होने के पश्चात् ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव तैयार किये जाए।

8.2 विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस (1 अप्रेल) की स्थिति के अनुसार संवर्ग (जहां से पदोन्नति उच्च सेवा संवर्ग में होनी हैं) के राजसेवकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित की जाए। वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व सम्बन्धित राजसेवकों से जिनकी प्रास्थिति (status) में अन्तर आया हो, आपत्तियां आमंत्रित कर उनके प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त ही वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जाना है। अस्थाई (provisional) वरिष्ठता सूची के अधार पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे जाए एवं वरिष्ठता सूची अन्तिम होने पर ही प्रस्ताव भेजे जाए।

8.3 रिक्तियों क अवधारण में नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात् एक अप्रेल की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की तिथिवार रिक्तियों की उपलब्धता का विवरण तैयार किया जाए। यदि कोई रिक्ति नवसृजन/क्रमोन्नयन से उपलब्ध हुई है तो उसके आदेश का ब्यौरा अभिलेख पर रखा जाए।

8.4 पदोन्नति हेतु पात्रता सूची/विचारण सीमा (Zone of Consideration) जो परिशिष्ट (घ) के नाम से निरूपित है, बनाते समय सूची में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं एकत्र की जाए:–

- कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन
- लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही
- लम्बित फौजदारी प्रकरण
- अनुशासनिक कार्यवाही में अधिरोपित दण्ड
- फौजदारी प्रकरण में सजा
- निलम्बन
- न्यायालय निर्देश

8.5 विचारण की सीमा (Zone of Consideration) में आने वाले राजसेवकों की निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 'घ') में पात्रता सूची जिसमें राजसेवक का नाम, जन्म तिथि, स्थाई/अस्थाई, निचले पद पर चयन का वर्ष एवं कार्यग्रहण तिथि, वांछित शैक्षणिक योग्यता (यदि पद के लिए वांछनीय है), अर्जित अनुभव आदि की सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

# राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 पार्ट जयपुर, दिनांक : 22/09/2021

## परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः– प्रतिनियुक्ति के पदों को पदोन्नति हेतु रिक्तियों की गणना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

पदोन्नति हेतु जारी इकजाई परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5 में पूरे वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की गणना के संबंध में प्रावधान विहित है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई राजसेवक है, तो इस प्रकार की रिक्तियों को भी पदोन्नति के लिए गणना योग्य माना गया है।

कार्मिक विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा एक वर्ष से कम की कालावधि के प्रतिनियुक्ति पद को भी पदोन्नति की रिक्तियों की गणना में सम्मिलित कर लिया जाता है/किया जा रहा है अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की मांग किये जाने मात्र पर ही ऐसे पदों को पदोन्नति के लिए प्रतिनियुक्ति पदों में गणना की जा रही है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।

अतः परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की गणना में प्रतिनियुक्ति से संबंधित पदों में निम्नांकित पदों को सम्मिलित किया जा सकेगा –

1. अन्य विभाग के वे पद जो वित्त विभाग की स्वीकृति से विभाग की केडर स्ट्रेन्थ में शामिल किये जा चुके हों

2. जिन प्रकरणों में विभागीय अधिकारी 01 वर्ष से अधिक समय से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक तक कार्यरत है

3. ऐसे प्रकरण जिनमें विभाग के किसी अधिकारी को 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लगाने हेतु आदेश जारी किया जा चुका हो तथा अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की तिथि से पूर्व कार्यमुक्त हो चुका हो।

42/2021

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि कृपया पदोन्नति हेतु वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की गणना में प्रतिनियुक्ति से संबंधित पदों के संबंध में उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

21/9/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

42/2021

श्रीमान् अध्यक्ष महोदया,
राजस्थान विधि सेवा परिषद्,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– वर्ष 2025–26 में आहूत होने वाले विधि सेवा पदों पर पदोन्नतियों में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 की अनुपालना सुनिश्चित कराये जाने बाबत।

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि निकट भविष्य में विधि सेवा संवर्ग के विभिन्न रिक्त पदो पर विभागीय पदोन्नतियां वर्ष 2025–26 के लिए आयोजित की जानी संभावित है। किसी भी विभाग में विभागीय पदोन्नतियों के नीति विषयक सिद्धान्त निर्धारित करने का क्षेत्राधिकारी पूर्णतः कार्मिक विभाग में न्यस्त है, जिनके द्वारा जारी किये गये आदेश/परिपत्र/आज्ञा सभी राजकीय विभागों पर समान रूप से प्रयोज्य (Applicable) होते है, ताकि सभी विभागों में पदोन्नतियों में एकरूपता बनी रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नतियों के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शन अपने परिपत्र कमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/अ.प./91 जयपुर दिनांक 04.06.2008 द्वारा विहित किये गये है।

उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिन्दु संख्या 7 में रिक्तियों के अवधारण के सिद्धान्त विहित किये गये है, जिसके अनुसार ही किसी वित्तीय वर्ष में पदोन्नतियों के लिये उपलब्ध होने वाले रिक्त पदो की गणना की जाती है। प्रार्थीगण श्रीमान् का ध्यान उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 7.5.7 की ओर आकृष्ट करना चाहेगे, जिसके कारण हस्तगत अभ्यावेदन प्रस्तुत करन का आधार बना है, उक्त प्रावधान निम्नांकित प्रकार से हैः–

7.5.7:– ***एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई राजसेवक है तो इस प्रकार की रिक्तियां भी पदोन्नति के लिए गणना योग्य होगी।***

इससे पूर्व बिन्दु संख्या 7.5.2 में पूर्व से ही स्पष्ट किया जा चुका है, डीपीसी की बैठक आयोजित होने से पूर्व जो भी नवीन पद सृजित होते है या बजट में सम्मिलित है या वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, को भी डीपीसी में रिक्त पदों में सम्मिलित करते हुये पदोन्नतियां की जानी है।

ऐसे में, विधि विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में डीपीसी आयोजित किये जाने से पूर्व जो भी पद सृजित हो चुके होगे, उन्हें पदोन्नति हेतु Consideration में लिया जाना है।

बिन्दु संख्या 7.5.7 के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि वह, दो सुभिन्न परिस्थितियों के लिये पदों को डीपीसी हेतु निर्धारित किये गये रिक्तियों में जोड़ने का निर्देश देता है :–

1. प्रथम, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश से उपलब्ध पद एवं
2. किसी राजसेवक के प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण , उत्पन्न रिक्ति का पद

उक्त प्रावधानों के प्रथमदृष्ट्या अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान 2 भिन्न–भिन्न परिस्थितियो से उत्पन्न रिक्तियों के पदों को डीपीसी में सम्मिलित करने की व्यवस्था करता है।

उक्त द्वितीय प्रावधान के पठन मात्र से स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति के पद के लिए यह कही पूर्वगामी शर्त (Condition Precedent) नहीं है कि उक्त प्रतिनियुक्ति के पद को सृजित हुए 1 वर्ष अथवा कोई भी Specific Time पूर्ण हो चुका हो/व्यतीत हो चुका हो।

उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत रखते हुए, श्रीमान् को यह विदित है कि वर्ष 2024–25 वर्ष की रिक्तियों के विरूद्व पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित की गई थी, उक्त तिथि से पूर्व उदयपुर विकास प्राधिकरण एवं कोटा विकास प्राधिकरण में संयुक्त विधि परामर्शी का पद सृजित किया जा चुका था, परन्तु उक्त नवसृजित पदों को अज्ञात कारणों से उक्त डीपीसी में पदोन्नति हेतु सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2 पात्र अधिकारी अपने पदौन्नति के अवसर से वंचित हो गये है।

वर्तमान में उक्त 2 नवसृजित पदों के अतिरिक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण में 2 संयुक्त विधि परामर्शी के पद और नवसृजित किये जा चुके है, इस प्रकार आगामी डीपीसी में इन 4 संयुक्त विधि परामर्शी के पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 41 पद उपलब्ध होते है।

अतः श्रीमान्जी से अनुरोध है कि वर्ष 2025–26 के लिए आहूत होने वाले डीपीसी में, संयुक्त विधि परामर्शी के 41 पदों को नियमानुसार Consideration में लेते हुए पात्र अभ्यर्थियों को पदोन्नति प्रदान करने का अनुग्रह करावें।

सादर।

दिनांकः–26.03.2025

भवदीय

NP=New Promotion, AP=Against Post

## Year 2025-26

| S.No. | Roster Point | Sr. Jt.LR | Jt.LR |
|---|---|---|---|
| 1. | UR-1 | श्रीमती नीता विजय मिश्रा | श्री गजेन्द्र सिंह |
| 2. | UR-2 | श्री हारून अली | श्री राकेश कुमार ओझा |
| 3. | UR-3 | श्री अशोक गुप्ता | श्री मनोज शर्मा |
| 4. | UR-4 | श्री हरिश शर्मा | श्री शंकर सिंह देवडा |
| 5. | UR-5 | श्री छैल बिहारी शर्मा | श्री राजीव गर्ग |
| 6. | UR-6 | श्रीमती आशा शर्मा | श्री अरविन्द राज पुरोहित |
| 7. | SC-1 | श्री रामकृष्ण भूरिया | श्री नरेन्द्र आर्य |
| 8. | UR-7 | श्री जगदीश सोनी | श्री मनीष उपाध्याय |
| 9. | ST-1 | श्री देवेन्द्र पाल मीणा | श्री संजय मीणा |
| 10. | UR-8 | श्री उमेन्द्र गोयल | श्री बरकुतुल्लाह सुल्तानी |
| 11. | UR-9 | श्री विवेक चौहान | श्री रमेश मालपानी |
| 12. | UR-10 | श्री रमजान अली | श्री मोहन लाल गुप्ता |
| 13. | SC-2 | श्री लेखराज जाग्रत | श्री सतीश मेघवाल |
| 14. | UR-11 | श्री पवन कुमार तंवर | श्री शेलेष सोनी |

NP=New Promotion, AP=Against Post

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | UR-12 | श्री विजय जैन | श्री हेमराज सोनी |
| 16. | UR-13 | श्री धर्मेन्द दादवानी (NP) | श्री चन्द्रशेखर शर्मा |
| 17. | ST-2 | श्री सुरेश चन्द्र शर्मा (NP) (AP) | श्रीमती जयश्री मीणा |
| 18. | UR-14 | श्री महेश गोयल (NP) | श्री कपिल महर्षि |
| 19. | SC-3 | श्री जगदीश कुमार (NP) | श्री मोहर सिंह |
| 20. | UR-15 | श्री अमीरूल हसन गौरी (NP) | श्री संजय माथुर |
| 21. | UR-16 | श्री गिरधारी जाखड (NP) | श्री चन्द्रशेखर गौड |
| 22. | UR-17 | श्री नटवर आचार्य (NP) | श्रीयोगेन्द्र दाधीच |
| 23. | UR-18 | | श्री कैलाश स्वर्णकार (NP) |
| 24. | UR-19 | | श्री कमल प्रकाश (NP) |
| 25. | ST-3 | | vacant |
| 26. | SC-4 | | श्री दुर्गाप्रसाद |
| 27. | UR-20 | | श्री मनमोहन आचार्य (NP) |
| 28. | UR-21 | | सुश्री अनुरीता शर्मा (NP) |
| 29. | UR-22 | | श्री उगमाराम (NP) |
| 30. | UR-23 | | श्रीमती रितु शर्मा (NP) |

NP=New Promotion, AP=Against Post

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31. | UR-24 | | श्री शराफत अली (NP) |
| 32. | SC-5 | | श्री ताराचंद |
| 33. | UR-25 | | श्री आनंद शर्मा (NP) |
| 34. | ST-4 | | vacant |
| 35. | UR-26 | | श्रीमती अनिता सक्सेना (NP) |
| 36. | UR-27 | | श्री अशोक वर्मा (NP) |
| 37. | UR-28 | | श्री रूप बसन्त शर्मा (NP) |
| 38. | SC-6 | | श्री मनमोहन चुनवाल |
| 39. | UR-29 | | श्री गिरवर सिंह (NP) |
| 40. | UR-30 | | श्री दातार सिंह (NP) |
| 41. | UR-31 | | श्री सुभ्रत सान्याल (NP) |
| 42. | ST-5 | | vacant |
| 43. | UR-32 | | श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (NP) |
| 44. | SC-7 | | |